

प्रशासन गांव कों संग (फोलोअप)अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 267 सन 2022

अनवान :-

1. प्रहलाद पुत्र इन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बलवीर पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. मोहरसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रायसाहब पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. सरस्वती पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. शान्ति पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. कुरडाराम पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. सुभाषचन्द्र पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. कमला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. नारायणी पत्नी इन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. राममूर्ति पुत्र इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. जयप्रकाश पुत्र सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. रामप्रसाद पुत्र सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
14. विक्रम पुत्र सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
15. कमला पुत्री सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
16. मांगेराम पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
17. गोमती पुत्री चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
18. विमला पुत्री चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
19. रोशनी पुत्री चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
20. सिलोचना पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
21. राजबाला पत्नी हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. उर्मिला पुत्री हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. लोकेश पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. नरेश पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
25. सुरेश पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 19/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 6/6 की कुल 4.8070 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी का दादा अमीलाल वल्द खुबीराम का देहान्त हो चुका है जिसके पुत्र/पुत्रीयों में से रणजीत, इन्द्रकुमार, पुत्री चन्द्रकला सावित्री एव उनके पुत्र/पुत्रीया के देहान्त होने के बाद अमीलाल वल्द खुबीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या

20
उपखण्ड अधिकारी

1 ता 25 है जो अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 वादीगण की बहने /बुआ एवं मृतक बुआ के वारिसान है मृतक बुआ के वारिसान के पुत्र/पुत्रीया मे से मृतक के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के हक हिस्स की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है अमीलाल वल्द खुबीराम का देहान्त हो चुका है अमीलाल वल्द खुबीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के पक्ष में त्याग हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 26 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 6/6 की कुल 4.8070 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी का दादा अमीलाल वल्द खुबीराम का देहान्त हो चुका है जिसके पुत्र/पुत्रीयों में से रणजीत, इन्द्रकुमार, पुत्री चन्द्रकला सावित्री एव उनके पुत्र/पुत्रीया के देहान्त होने के बाद अमीलाल वल्द खुबीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 वादीगण की बहने /बुआ एवं मृतक बुआ के वारिसान है मृतक बुआ के वारिसान के पुत्र/पुत्रीया मे से मृतक के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के हक हिस्स की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत

22
राजस्व अधिकारी

कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पेतुक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 6/6 की कुल 4.8070हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है अमीलाल वल्द खुबीराम का देहान्त हो चुका है अमीलाल वल्द खुबीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के पक्ष में त्याग हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ,10 ,12 ता 25 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 6/6 की कुल 4.8070हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा, वादी व प्रतिवादी संख्या 11 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/05/22 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. प्रहलाद पुत्र इन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. बलवीर पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
2. मोहरसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
3. रायसाहब पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
4. कृष्णा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
5. सरस्वती पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
6. शान्ति पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
7. कुरडाराम पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
8. सुभाषचन्द्र पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
9. कमला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
10. नारायणी पत्नी इन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
11. राममूर्ति पुत्र इन्द्रकुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
12. जयप्रकाश पुत्र सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
13. रामप्रसाद पुत्र सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
14. विक्रम पुत्र सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
15. कमला पुत्री सावित्री जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
16. मांगेराम पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
17. गोमती पुत्री चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
18. विमला पुत्री चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
19. रोशनी पुत्री चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
20. सिलोचना पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
21. राजबाला पत्नी हनुमान पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
22. उर्मिला पुत्री हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
23. लोकेश पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
24. नरेश पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
25. सुरेश पुत्र हनुमान प्रसाद पुत्र चन्द्रकला जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 267 सन 2022 निर्णय दिनांक- 19/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 6/6 की कुल 4.8070 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमीलाल वल्द खुबीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा, वादी व प्रतिवादी संख्या 11 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....